Hindi

खुल कर अपनी बात कहिए!

यौन उत्पीड़न गैर-कानूनी है। यह कामुक प्रकृति के ऐसे किसी भी अप्रिय व्यवहार को कहते हैं जिसे आप आपत्तिजनक मानते/मानती हैं, जिसके कारण आप अपमानित या भयग्रस्त महसूस करते/करती हैं।

हर किसी को यौन उत्पीड़न से मुक्त होकर जीने, काम करने और पढ़ाई-लिखाई करने का अधिकार है। आपको इसे बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं। आप इस बारे में किसी को बता सकते/सकती हैं या शिकायत कर सकते/सकती हैं।

यदि आपने या आपके किसी परिचित व्यक्ति ने यौन उत्पीड़न का अनुभव किया है तो आपको निम्नांकित स्थानों से सहायता मिल सकती है:

रेडफर्न लीगल सेंटर (Redfern Legal Centre):
02 9698 7277 या विज़िट करें: rlc.org.au/contact

ऑस्ट्रेलिया का मानव अधिकार आयोग
(Australian Human Rights Commission): 1300 656 419

गैर-भेदभाव एन.एस.डब्ल्यू. (Anti-Discrimination NSW):
1800 670 812 या 02 9268 5544

NSW पुलिस: 131 444

राष्ट्रीय यौन आक्रमण परामर्श सेवा (National Sexual Assault Counselling Service): 1800 RESPECT (1800 737 732)

यदि आपको दुभाषिया की सेवा की जरूरत हो तो 131 450 पर निःशुल्क 'अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा' (TIS) को फ़ोन करें और वे आपके लिए इन सहायता सेवाओं से सम्पर्क कर सकते हैं।

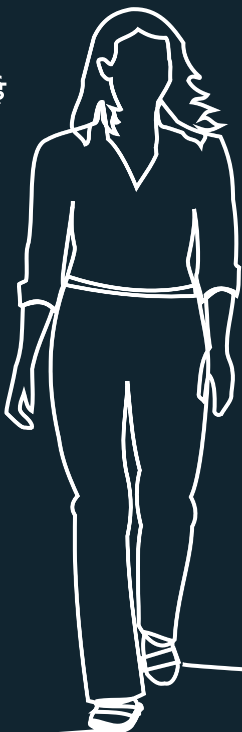

1
यौन उत्पीड़न की पहचान करें

2
शिकायत करें

3
सहायता प्राप्त करें

1 यौन उत्पीड़न की पहचान करें

यौन उत्पीड़न क्या है?

यौन उत्पीड़न कामुक (सेक्सुअल) प्रकृति के ऐसे किसी भी अप्रिय व्यवहार को कहते हैं जिसे आप आपत्तिजनक मानते/मानती हैं, जिसके कारण आप अपमानित या त्रस्त महसूस करते/करती हैं। यह शारीरिक, वचनों के द्वारा, विज़ुअल या लिखित रूप में हो सकता है।

यौन उत्पीड़न के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं:

- कामुक टिप्पणियां या चुटकुले
- कामुकतापूर्ण आवाज़ें निकालना
- घूरना या बुरी दृष्टि से देखना
- डेटिंग पर जाने के लिए अनचाहा आमंत्रण
- अवांछित स्पर्श
- कामुकतापूर्ण ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेज, DMS (प्रत्यक्ष संदेश), टिप्पणियां या फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना
- आपके व्यक्तिगत जीवन या आपके शरीर के बारे में टिप्पणियां
- आपके व्यक्तिगत जीवन या शरीर के बारे में अनुचित या व्यक्तिगत किस्म के सवाल करना
- आपकी यौन अभिरुचि, क्रियाकलाप या आपकी पसंद का खुलासा करने की धमकी देना
- यौन कृपा के लिए अवांछित निवेदन

यौन उत्पीड़न और यौन आक्रमण की अलग-अलग कानूनी परिभाषाएं हैं।

यौन उत्पीड़न नागरिक (आपराधिक नहीं) कानून का उल्लंघन है। लेकिन यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आपराधिक कृत्य वाले यौन आचरण, जैसे यौन आक्रमण, भी शामिल हो सकते हैं।

यौन आक्रमण एक आपराधिक कृत्य है जिसमें यौन किस्म की क्रिया या आपकी सहमति के बिना आपके शरीर को छूना शामिल है। इसके अंतर्गत आपकी सेक्सुअल छवि भेजना, यौन स्पर्श और अनुमति के बिना संभोग शामिल हो सकता है।

किसी अपराध का शिकार होने से आपके वीज़ा का स्टेटस प्रभावित नहीं होगा और न ही इससे आपकी नौकरी पर कोई प्रभाव पड़ना चाहिए।

यौन भेदभाव तब होता है जब आपकी लैंगिक पहचान, इंटरसेक्स स्टेटस, यौन अभिरुचि, वैवाहिक अथवा रिलेशनशिप स्टेटस, पारिवारिक जिम्मेदारियों, सगर्भता या स्तनपान जैसी स्थितियों के कारण आपसे विभेदपूर्ण व्यवहार किया जाता है। कार्यस्थलों, दुकानों और सेवा प्रतिष्ठानों, शिक्षा और आवास क्षेत्रों में भेदभाव गैर-कानूनी है। भेदभाव सम्बंधी शिकायतें Anti-Discrimination NSW या ऑस्ट्रेलिया के मानव अधिकार आयोग के पास की जा सकती हैं। यदि मीटिंग के जरिये इन मामलों का निराकरण न हो सके तो इन्हें किसी न्यायाधिकरण या अदालत के पास ले जाया जा सकता है।

यौन उत्पीड़न और कानून

- यौन उत्पीड़न गैर-कानूनी है। निम्नांकित सभी मामलों में, किसी भी व्यक्ति का यौन उत्पीड़न करना कानून के विरुद्ध है:
- नौकरी के क्षेत्र में, तब भी जब आप किसी काम के लिए आवेदन कर रहे/रही हों या काम पर तैनात हों
- शिक्षा के क्षेत्र में, तब भी जब आप किसी अध्ययन के लिए आवेदन या अध्ययन कर रहे/ रही हों
- निवास-स्थान में, जैसे तब जब आप किसी फ्लैट को किराये पर ले रही हों या साझा कर रही हों
- जब आप वस्तुओं या सेवाओं का क्रय-विक्रय कर रहे/रही हों, जैसे शॉपिंग या बैंकिंग
- सामाजिक, खेलकूद या अन्य क्लबों में
- जब आप किसी सरकारी एजेन्सी से कार्य-व्यवहार कर रहे/रही हों।

2
शिकायत करें

कार्यस्थल पर

यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए नियोक्ताओं को हर उचित कदम उठाना जरूरी है। यदि कार्यस्थल पर आपका यौन उत्पीड़न किया जा रहा है तो आप उस व्यक्ति से बात कर सकते/सकती हैं जो आपका यौन उत्पीड़न कर रहा/रही है और उनसे ऐसा न करने के लिए कह सकते/सकती हैं। आप अपने बॉस के सामने भी मामला उठा सकते/सकती हैं। यदि बॉस से बात करने में आप सहज महसूस न कर रहे/रही हों तो आप उसके बाद के किसी वरिष्ठ व्यक्ति से बात कर सकते/सकती हैं या फिर अपनी संस्था के मानव संसाधन विभाग से।

यदि इसके बाद भी उत्पीड़न न रुके तो आप औपचारिक रूप से लिखित शिकायत कर सकते/सकती हैं। बहुत से नियोक्ताओं, स्कूलों और विश्वविद्यालयों के पास यौन उत्पीड़न सम्बंधी नीतियां होती हैं जिनमें यह निर्धारित किया जाता है कि यौन उत्पीड़न सम्बंधी मामलों में औपचारिक रूप से लिखित शिकायत कैसे की जाए।

यदि आपका नियोक्ता शिकायत करने के कारण आपके ही खिलाफ कार्यवाही करे, जैसे आपको कार्य से बर्ख़ास्त करना, तो यह ठीक नहीं है। इसके खिलाफ कानूनी सुरक्षा मौजूद है और ऐसा होने पर आपको तुरन्त कानूनी सलाह प्राप्त करनी चाहिए। यदि आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है तो कानूनी कदम उठाने के लिए आपके पास केवल 21 दिन का समय होगा।

आपको जल्द से जल्द शिकायत करनी चाहिए, और आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी संबंधित व्यक्तियों को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

शिक्षास्थल पर

यदि आपके विश्वविद्यालय या अन्य किसी शैक्षणिक संस्थान में आपका यौन उत्पीड़न किया गया है तो औपचारिक या अनौपचारिक शिकायत करने के लिए आप शिकायत निवारण टीम से सम्पर्क कर सकते/सकती हैं। कर्मचारी आपके द्वारा उठाए जा सकने वाले कदमों के बारे में भी आपको बता सकते हैं तथा अन्य सहायता सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकते हैं।

मामले को आगे ले जाना

यदि आप शिकायत निवारण प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं, शिकायत प्रबंधन करने वाला व्यक्ति सहायता देने वाला प्रतीत नहीं होता है या आपको जांच-पड़ताल के प्रबंधन या निवारण का काम संतोषप्रद नहीं लगता है, तो आप मामले को आगे ले जाने पर विचार कर सकते/सकती हैं।

यदि आपकी यौन उत्पीड़न सम्बंधी शिकायत का निराकरण नहीं किया जा सका हो, आंतरिक रूप से शिकायत करने का कोई विकल्प मौजूद न हो या आप आंतरिक शिकायत विकल्प का उपयोग करना नहीं चाहते/चाहतीं तो आप निम्नांकित के पास शिकायत दर्ज़ करा सकते/सकती हैं:

- **Anti-Discrimination NSW (ADNSW)** – आप ADNSW के पास ऑनलाइन, डाक या ईमेल द्वारा शिकायत दर्ज करा सकते/सकती हैं। और अधिक जानकारी के दर्जे **9268 5544** या **1800 670 812** पर फ़ोन करें या इस साइट पर जाएं: **bit.ly/adnsw21**
- **ऑस्ट्रेलिया का मानव ऑस्ट्रेलिया आयोग (Australian Human Rights Commission** - AHRC) – आप AHRC पर ऑनलाइन, डाक या ईमेल द्वारा शिकायत दर्ज करा सकते/सकती हैं। और अधिक जानकारी के लिए 1300 656 419 पर फ़ोन करें या इस साइट पर जाएं: **humanrights.gov.au/complaints/make-complaint**

ये संस्थाएं सुलह कराकर आपकी शिकायत के निराकरण का प्रयास करेंगी। यह एक प्रकार की मीटिंग है जिसमें दोनों संलग्न व्यक्ति एक स्वतंत्र मध्यस्थ की सहायता से बातचीत कर सकते हैं। यदि इसके बाद भी मामले का निराकरण न हो सके तो आप अपनी शिकायत न्यायाधिकरण या अदालत में ले जा सकते/सकती हैं।

ADNSW में यौन उत्पीड़न सम्बंधी शिकायतों को दर्ज़ करने के लिए 12 महीने की और AHRC में यौन उत्पीड़न सम्बंधी शिकायतों को दर्ज़ करने के लिए 24 महीने की समयावधि होती है।

शिकायत करने से पहले आपको सलाह लेनी चाहिए कि आपके लिए कौन-सा विकल्प सबसे अच्छा रहेगा।

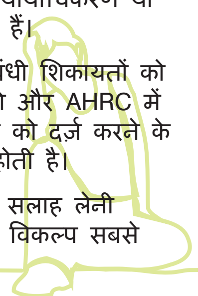

3
सहायता प्राप्त करें

परामर्श प्राप्त करना

आप यहां से निःशुल्क कानूनी परामर्श प्राप्त कर सकते/सकती हैं:

- **रेडफर्न लीगल सेंटर (Redfern Legal Centre) अंतर्राष्ट्रीय छात्र कानूनी सेवा NSW 02 9698 7277 | rlc.org.au**
- **वीमेन्स लीगल सर्विस NSW (Women's Legal Service NSW)
1800 801 501 | wlsnsw.org.au**
- **इनर सिटी लीगल सेंटर (Inner City Legal Centre) LGBTIQ+ विशेषज्ञता सेवा
1800 244 481 | iclc.org.au**
- **आपका स्थानीय सामुदायिक कानूनी केंद्र
bit.ly/clcnsw1**
- **लीगल एड NSW
legalaid.nsw.gov.au/get-legal-help**

सहायता प्राप्त करना

यौन उत्पीड़न आपके स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित कर सकता है। आपको कैसा अनुभव हो रहा है, इस बारे में किसी भरोसेमंद पारिवारिक सदस्य, दोस्त, सहकर्मी, चिकित्सक, शिक्षक या स्वास्थ्यकर्मी जैसे किसी व्यक्ति से बात करने से मदद मिल सकता है।

निम्नांकित सेवाएं निःशुल्क प्रोफेशनल एवं गोपनीय परामर्श और सहायता भी उपलब्ध कराती हैं:

1800 RESPECT 1800 737 732 – एक राष्ट्रीय यौन आक्रमण, घरेलू एवं पारिवारिक हिंसा सम्बंधी परामर्श सेवा। दिन के 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन, आप फ़ोन अथवा ऑनलाइन चैट कर सकते/सकती हैं: **1800respect.org.au**

QLife 1800 184 527 – LGBTIQ+ लोगों के लिए एक गुप्तनाम, टेलिफ़ोन एवं वेब-परामर्श सेवा। आप 3 बजे दिन से लेकर मध्यरात्रि तक फ़ोन या ऑनलाइन चैट कर सकते/सकती हैं: **qlife.org.au**

MensLine Australia 1300 78 99 78 – ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी, किसी भी समय, पुरुषों के लिए निःशुल्क टेलिफ़ोन एवं ऑनलाइन परामर्श सेवा।

Mental Health Line 1800 011 511 – NSW सरकार की एक रेफरल सेवा जिसके कर्मचारी मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में पेशेवर लोग हैं। दिन के 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन उपलब्ध।

यौन हमले की रिपोर्ट करना

NSW पुलिस यौन आक्रमण को बहुत गंभीरता से लेती है। वह अपराधों की छानबीन करेगी और अपराधियों पर आरोप लगाने और मुकदमा चलाने का प्रयास करेगी।

किसी अपराध का शिकार होने से आपके वीज़ा का स्टेटस प्रभावित नहीं होगा और न ही इससे आपकी नौकरी पर कोई प्रभाव पड़ना चाहिए।

आप पुलिस के पास निम्नांकित माध्यमों से यौन आक्रमण सम्बंधी रिपोर्ट दे सकते/सकती हैं:

- **131 444 पर पुलिस सहायता लाइन को फ़ोन करके**
- **व्यक्तिगत रूप से पुलिस स्टेशन जाकर**
- NSW **पुलिस के यौन आक्रमण रिपोर्ट विकल्प पर ऑनलाइन सूचना देकर**
- किसी भी आकस्मिक स्थिति में 'तीन शून्य' (000) पर फ़ोन करके

यदि आप किसी अपराध के/की शिकार हैं तो आपको परामर्श प्राप्त करने, क्षतिपूर्ति और आर्थिक सहायता का अधिकार प्राप्त हो सकता है। दिन के 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन,
1800 633 063 पर Victims Access Line से सम्पर्क करें।

यौन आक्रमण और सहायता कहां से प्राप्त की जाए इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए, यहां से हमारा 'आपका शरीर, आपकी पसन्द' (Your Body, Your Choice) नामक तथ्यपत्र डाउनलोड करें: **rlc.org.au/sexual-assault.**

यह पहल इनके द्वारा समर्थित है

CITY OF SYDNEY | Redfern Legal Centre | NSW GOVERNMENT | STUDY NSW Creative. Dynamic. Alive.